

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं जो सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए। इसमें अधिक भुगतान, परिहार्य भुगतान, निष्फल व्यय, निधियों का अवरोधन तथा खराब योजना आदि से संबंधित ₹711.80 करोड़ के धन मूल्य वाले 49 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

### नागरिक उड्डयन मंत्रालय

#### निष्फल व्यय

बोली दस्तावेजों में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के स्थान पर भारतीय एयरो क्लब (ए सी आई) द्वारा काम्पेक्ट टेक्नोलॉजी लाईट स्पोर्ट (सी टी एल एस) वायुयानों का अनियमित रूप से चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक नागरिक उड्डयन ने सी टी एल एस वायुयानों को पहले प्रदान की गई स्वीकृति को वापस लेने के संबंध में ए सी आई को सूचना नहीं दी थी। परिणामस्वरूप, ए सी आई (दिसम्बर 2011) द्वारा प्रापण किए गए सी टी एल एस वायुयान व्यर्थ पड़े थे (नवंबर 2015) जिसने उनके अधिग्रहण के उद्देश्य को विफल किया तथा ₹2.39 करोड़ के व्यय को निष्फल के रूप में प्रस्तुत किया।

*(पैराग्राफ सं. 3.1)*

### कोयला मंत्रालय

#### कोयला खान भविष्य निधि संगठन

#### ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य व्यय

मई 2007 में कोयला मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने अपने मुख्यालय, धनबाद में अपने आवासीय मकानों में बिजली मीटरों को लगाने की कोई पहल नहीं की थी तथा अपने कर्मचारियों को नाममात्र की दरों पर बिजली की आपूर्ति को जारी रखा जिसका परिणाम

## 2016 की प्रतिवेदन सं. 11

2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹2.16 करोड़ की सीमा तक ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.1)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण

सेवा कर के गैर-संग्रहण के कारण परिहार्य व्यय

कृषीय एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों तथा वकीलों, जिनसे इसके द्वारा विधिक सेवाएं प्राप्त की गई थी, से सेवा कर के गैर-संग्रहण का परिणाम ₹6.15 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 5.1)

संस्कृति मंत्रालय

कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान

कूथम्बलम के नवीकरण पर निष्फल व्यय

खराब योजना तथा वित्त समिति की स्वीकृति के बिना कार्य के क्षेत्र में वृद्धि का परिणाम ₹1.41 करोड़ से ₹7.63 करोड़ तक व्यय की प्रबल वृद्धि में हुआ तथा ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का परियोजना की समाप्ति हेतु निर्धारण किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 6.2)

विदेश मंत्रालय

नागरिकता के परित्याग तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग के प्रति प्रभारित शुल्कों/दण्डों पर विनिमय दर के गलत अभिग्रहण के कारण राजस्व का कम संग्रहण किया गया

जून 2010 में भारतीय उच्चायोग (एच.सी.आई.) ओटावा तथा टोरंटो एवं बेनकोवर में इसके वाणिज्य दूतावासों द्वारा वीजा शुल्कों हेतु विनिमय दर, जैसी नियमपुस्तिका के अंतर्गत अपेक्षित है, के बावजूद प्रचालित विनिमय दर के गलत अभिग्रहण तथा बाद में मार्च 2013 में भारतीय नागरिकता के

परित्याग हेतु सेवा शुल्कों तथा पासपोर्टों के दुरुपयोग पर दण्ड के अनुचित अधोमुखी संशोधन के परिणामस्वरूप ₹27.01 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ सं. 7.1)

### सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ

सामान्य सेवा प्रभार जी.बी.पी. 7.70 के स्थान पर विवेकाधीन दर (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 25) पर सेवा प्रभार पर फास्ट ट्रेक व्यापार वीजा के नियंत्रण की स्वीकृति देने के कारणवश मार्च 2010 से फरवरी 2015 के दौरान सेवा प्रदाता को ₹10.72 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(पैराग्राफ सं. 7.2)

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

#### सफदरजंग अस्पताल

#### सेवा प्रभारों का अधिक भुगतान

सफदरजंग अस्पताल द्वारा संपत्ति कर पर सेवा प्रभारों के गणना के लिए 'उपयोग कारक' के गलत निर्धारण के फलस्वरूप नई दिल्ली नगर निगम को ₹4.60 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.2)

### अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता

#### वजीफे का अधिक भुगतान

संस्थान ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में पाठ्यक्रम निर्धारित होने को सुनिश्चित किए बिना दो स्नात्कोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम नामतः औद्योगिक स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डी.आई.एच.) और मातृत्व और बाल कल्याण के क्षेत्र में डिप्लोमा (डी एम सी डब्ल्यू) के विद्यार्थियों को उच्चतम दर पर वजीफा भुगतान करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप जून 2005 से जुलाई 2014 तक की अवधि में ₹3.63 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 8.3)

## गृह मंत्रालय

### राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

#### खराब योजना के कारण निष्फल व्यय

मंत्रालय द्वारा मौजूदा दो संस्थानों का विलय करके राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया अकादमी को स्थापित करने की कार्रवाई, भूमि के स्वतंत्र प्लॉट पर अकादमी को स्थापित करने के पूर्व के निर्णय से भिन्न था। खराब योजना के परिणामस्वरूप एन.डी.एम.ए. को लागत में वृद्धि की वजह से ₹2.48 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था। इसके अलावा भूमि के क्रय पर किया गया ₹18.61 करोड़ का समस्त व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ सं. 9.1)

#### निष्फल व्यय

गृह मंत्रालय ने मार्च 2009 में भोपाल में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया। चूंकि परियोजना को विलम्ब का सामना करना पड़ा इसलिए मंत्रालय ने प्रशिक्षणों का आयोजन करने हेतु प्री-फैबरीकेटिड सरंचनाओं का निर्माण करने का निर्णय लिया। तथापि, यह कदम भी निष्फल साबित हुआ क्योंकि इन सरंचनाओं में विभिन्न कारणों जैसे कि दूरवर्ती स्थान, सुरक्षा प्रबंधनों की कमी आदि के कारण किसी प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जा सका था जो इनके निर्माण पर ₹10.13 करोड़ के निष्फल व्यय का कारण बना।

(पैराग्राफ सं. 9.2)

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

### केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

#### केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कार्य

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की लेखापरीक्षा में कई व्यवस्थागत कमियां पाई गईं जैसे कि प्रमाणन प्रक्रिया में अस्पष्टीकृत विलंब जो समिति द्वारा जांच के लिए फिल्मों का क्रम बदलना, प्रमाणित फिल्मों को ए से यू.ए./ए. श्रेणी इत्यादि

में परिवर्तित करना इत्यादि। लेखापरीक्षा के सामने ऐसे साक्ष्य भी आए जो कि फिल्म प्रमाणीकरण के अभिलेखों को ट्रैक करने के लिए सी.बी.एफ.सी. के भीतर आंतरिक नियंत्रण की कमी भी दर्शाते हैं जिससे कॉपीराइट न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को एक भी फिल्म के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किए जाने का जोखिम उत्पन्न होता है।

(पैराग्राफ सं. 11.1)

**सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता**

**2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता की शैक्षणिक गतिविधियाँ**

सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एस.आर.एफ.टी.आई.) अपनी स्थापना के 20 वर्ष बाद भी अपने उद्देश्यों में उल्लिखित विभिन्न पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में असफल रहा। संस्थान की गतिविधियाँ पाठ्यक्रम की पूरा होने, में देरी, रिक्त सीट, अल्प शिक्षण घंटे और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन में अंतर ने क्षतिग्रस्त कर दिया है।

(पैराग्राफ सं. 11.2)

**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय**

**खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई में ऋणों का अपर्याप्त अनुवर्तन**

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋणों के अपर्याप्त अनुवर्तन के कारण ₹551.46 करोड़ एवं ₹226.70 करोड़ राशि की वसूली नहीं हुई, जो योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से विकास हेतु थीं। उस राशि को संस्थान को ऋण प्रदान करने में लगाया गया।

(पैराग्राफ सं. 12.1)

## नीति आयोग

### भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण

#### वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर परिहार्य व्यय

भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने संविदा के प्रावधानों के उल्लंघन में विक्रेता (मै. विप्रो लिमिटेड) को अनुचित लाभ प्रदान किया तथा वारंटी/मुफ्त अनुरक्षण के अंतर्गत शामिल अवधि हेतु उपकरण की वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर ₹4.92 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ सं. 13.1)

### पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

#### वित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए केजी-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन ठेके की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

उत्पादन सहभाजन ठेका ब्लॉक के कई मुद्दों की पिछली लेखापरीक्षा (2006-12) में उठाया गया था वे अभी भी बने रहे। पूर्व में चिन्हित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के कारण 2012-14 के दौरान अतिरिक्त लागत वसूली का कुल प्रभाव यू.एस.डी. 1547.85 मिलियन (₹9307.22 करोड़) था। 2012-14 की अवधि के लिए, ऑपरेटर द्वारा दावित आधिक लागत वसूली के अतिरिक्त मुद्दे पाये गये, जिसका वित्तीय प्रभाव यू.एस.डी 46.35 मिलियन था (₹278.70 करोड़)। डी 29, डी. 30 कुओं के लिए परिक्षण (एम.डी.टी.) पर दावित लागत वसूली जिसे पी.एन.जी.एम.ओ. के हाल ही के दिशा-निर्देशों (मई 2015) के अनुरूप उचित रूप से प्रदत्त तथा वापिस होनी चाहिए थी। ऑपरेटर ने डी 31 की खोज छोड़ दी थी तथा इस खोज से संबंधित सभी लागत वसूलियाँ लौटानी थी। इसी बीच एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मे. डी. गोलवर एवं मैकनाटन (डी.एवं एम.) की रिपोर्ट ने संकेत किया ओ.एन.जी.सी. द्वारा संचालित संलग्न ब्लॉक से के.जी.डी.डब्ल्यू.एन-98/3 ब्लॉक को गैस का प्रवाह इस ब्लॉक के वित्तीय क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

(पैराग्राफ सं. 14.1)

**वस्त्र मंत्रालय**

**वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद**

**एक निजी दल को अनुचित लाभ**

वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद द्वारा सुसज्जित कार्यालय स्थान को पट्टे पर देने हेतु अपनाई गई निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। यद्यपि, मै. तिस्ता ऊर्जा लेमिटेड (टी.यू.एल.) ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था फिर भी उनकी बोली पर बोलियों के खोले जाने के एक सप्ताह पश्चात विचार किया गया था। मै. टी.यू.एल. को कुछ पश्च संविदात्मक लाभ प्रदान किए गए थे जो ए.ई.पी.सी. के लिए अत्यन्त अनुग्रहात्मक थे जिसका परिणाम मै. टी.यू.एल. को अनुचित लाभ तथा ए.ई.पी.सी. को ₹17.42 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ।

*(पैराग्राफ सं. 17.1)*

**शहरी विकास मंत्रालय**

**सम्पदा निदेशालय**

**सम्पदा निदेशालय का कार्यचालन**

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के आवास की निरन्तर कमी हुई है। दिल्ली संपदा निदेशालय डीओई के पास भी उसके पास उपलब्ध आवास स्टॉक का सही अभिलेख नहीं है। विभिन्न पूल में आवास स्टॉक की वृद्धि अनुचित ढंग से की गई है। लाइसेंस फीस का संग्रहण तथा मॉनिटरिंग प्रणाली पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप डी.ओ.ई. लाइसेंस फीस को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। डीईओ तथा सीपीडब्ल्यूडी के डाटाबेस जोड़े नहीं गए हैं जिसके कारण सरकारी आवास प्रबन्धन प्रणाली डाटाबेस में घरों की रिक्त स्थिति के प्रतिविम्बन में विलम्ब हुआ। डीओई के पास घरों के सही ब्यौरे नहीं हैं जो असुरक्षित अथवा खतरनाक घोषित किए गए हैं। सरकारी आवास प्रबन्धन प्रणाली जीएमएस डाटाबेस में डाटा की गुणवत्ता खराब होती पाई गई थी।

*(पैराग्राफ सं. 19.1)*

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता (संस्कृति मंत्रालय)

स्वीकृति अनुशंसाओं की अनुपालना न होना

“राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता के क्रियाकलाप” के संबंध में निष्पादन लेखापरीक्षा 2004-05 से 2009-10 की अवधि के लिए की गई थी। प्रतिवेदन को 30 स्वीकृत अनुशंसाओं सहित नि.म.ले.प. के 2010 के प्रतिवेदन सं. 3 में प्रस्तुत किया गया था। स्वीकृत अनुशंसाओं पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा मई तथा जून 2015 के दौरान की गई थी।

लेखापरीक्षा जांच ने उजागर किया कि पुस्तकालय तथा मंत्रालय ने 2010-15 के दौरान मुख्य रूप से भारत में प्रकाशित पुस्तकों के डाटाबेस का निर्माण, पुस्तकों का तीव्र प्रकाशन, सभी मंडलों के स्टॉक सत्यापन का संचालन, सुरक्षा को मजबूत करना, पाठकों को विभिन्न मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराना तथा सभी ग्रंथसूची रिकॉर्ड का पूर्व रूपांतरण से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

(पैराग्राफ सं. 23.1.1)